रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092020-221657 CG-DL-E-10092020-221657

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2739]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2020/भाद्र 19, 1942

No. 2739]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020/BHADRA 19, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

का.आ. 3086(अ).—कयर उद्योग नियमावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा एडवोकेट श्री अदूर प्रकाश और श्री गौडर मिल्लिकार्जुनण्पा सिद्धेश्वरा, संसद सदस्य, लोक सभा को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 फरवरी, 2022 तक की अविधि के लिए अथवा सदन का सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, कयर बोर्ड के सदस्य नियुक्त करती है और इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की दिनांक 22 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1019(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रम संख्या-1 के पश्चात श्रेणी-(ई) के अंतर्गत तथा उससे संबधित प्रविष्ठियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा-नामतः –

"(2) एडवोकेट श्री अदूर प्रकाश, सदस्य, लोक सभा, 804, नर्मदा अपार्टमेंट, डॉ. विश्म्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

-सदस्य:

(3) श्री गौडर मल्लिकार्जुनप्पा सिद्धेश्वरा, सदस्य, लोक सभा, 19, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली-110001

-सदस्य।"

[फा. सं. 6(5)/2018-कयर]

सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना को दिनांक 25 फरवरी, 2019 की संख्या का.आ. 1019(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया और दिनांक 17 जनवरी, 2020 की संख्या का.आ. 244(अ) के माध्यम से संशोधन किया गया।

4191 GI/2020

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2020

S.O. 3086(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Advocate Adoor Prakash and Shri Gowdar Mallikarjunappa Siddeshwara, Members of Parliament, Lok Sabha to be Members of the Coir Board for a period up to 21st February, 2022 or till he ceases to be a member of the House whichever is earlier, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette and for the said purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, number S.O.1019(E) dated the 22nd February, 2019, namely:-

In the said notification, in the table, under Clause (e), after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"(2) Advocate Adoor Prakash, Member, Lok Sabha, 804, Narmada Apartment, Dr. Bishambar Das Marg, New Delhi-110001

- Member;

(3) Shri Gowdar Mallikarjunappa Siddeshwara, Member, Lok Sabha, 19, Gurudwara Rakab Gunj Road, New Delhi-110001

Member ."

[F. No. 6(5)/2018-Coir]

SUDHIR GARG, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1019(E) dated the 25th February, 2019 and lastly amended *vide* number S.O. 244(E), dated the 17th January, 2020.